Web-Copy

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,चूरु
पीठासीन अधिकारी राम रतन सौकरिया, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या: 2013/00005 दायर दिनांक: 28.11.2013

तहसीलदार बीदासर, जिला चूरू (राज.) -प्रार्थी-

बनाम्

1. मनीर पुत्र मोहम्मद बक्स कौम मुसलमान नाई निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (मृत)
   1/1 मूंगी पत्नी मनीर कौम मुसलमान नाई निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (मृत)
   1/2 मो. युसुफ पुत्र मनीर कौम मुसलमान नाई निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. गुलाबी धर्मपत्नी स्व. अलादीन कौम मुसलमान छींपा निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (मृत)
   2/1 रहीमबक्श पुत्र अलादीन तेली निवासी बीदासर जिला चूरू
   2/2 उमरदीन रहीमबक्श पुत्र अलादीन तेली निवासी बीदासर जिला चूरू
   2/3 दौलत पुत्री अलादीन तेली निवासी बीदासर जिला चूरू
   2/4 जन्नत पुत्री अलादीन तेली निवासी बीदासर जिला चूरू
   2/5 रहीसा पुत्री अलादीन तेली निवासी बीदासर जिला चूरू
   2/6 जैतून पुत्री अलादीन तेली निवासी बीदासर जिला चूरू
   2/7 उल्फत पुत्री अलादीन तेली निवासी बीदासर जिला चूरू
3. रहीमबक्स पुत्र स्व. अलादीन कौम मुसलमान छींपा निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. उमरदीन पुत्र स्व. अलादीन कौम मुसलमान छींपा निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. शकरू पुत्र शुभराती जाति तेली निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (मृत)
   5/1 बिस्मल पत्नी शुभराती जाति तेली निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (मृत)
   5/2 ईस्माइल पुत्र शुभराती जाति तेली निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
   5/3 मांगीलाल उर्फ सलीम पुत्र शुभराती जाति तेली निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
   5/4 नानू पुत्र शुभराती जाति तेली निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
   5/5 मुंशी पुत्र शुभराती जाति तेली निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
   5/6 नेक मोहम्मद पुत्र शुभराती जाति तेली निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
   5/7 सोना पुत्री शुभराती जाति तेली निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
   5/8 खातून पुत्री शुभराती जाति तेली निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (मृत)
6. युसुफ पुत्र पुत्र अली मोहम्मद कौम मुसलमान साई निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

-अप्रार्थीगण-

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

Web-Copy

2013/00005

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थित:- 1. श्री भीमनाथ सिद्ध एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी सं. 2/2, 04, 06, 2/1, 03, 5/4

निर्णय **दिनांक: 29.10.2018**

यह प्रार्थना-पत्र श्रीमान जिला कलक्टर न्यायालय चूरू से वास्ते सुनवाई दिनांक 28.11.2013 को स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर ऑनलाइन दर्ज किया गया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

1. रोही बीदासर पटवार क्षेत्र बीदासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बीदासर में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2068-71 खेत खतौनी संख्या नया 386 पुराना 368 खसरा नम्बर 1590/1821 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम लगान 1.86 रु राजस्व रेकार्ड में मनीर वल्द मोहम्मदबख्श कौम नाई मु.गुलाबी धर्मपत्नी स्व. अलादीन रहीमबक्श उमरदीन पि. अलादीन रहीमबक्श पुत्र अलादीन छींपा शकरु पुत्र शुभराती तेली युसुफ वल्द अलीसांई सा.देह के नाम गैर खातेदारी अंकित है। गैर खातेदारान की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थीगण गैर खातेदारान के वारिस हैं। मुताबिक रिकार्ड यह भूमि सम्वत् 2028 में भू प्रबन्ध संक्रियाओं के दौरान श्री भैरा वल्द मघा कौम नाई के नाम से गैर खातेदारी हक से अंकित कर दी गई थी। गैर खातेदार के रुप में श्री भैरा को उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लेने का अधिकार था। उक्त भूमि को विक्रय रहन आदि के अधिकार भैरा को नहीं थे।
2. उक्त भैरा द्वारा उक्त भूमि का विक्रय मनीर पुत्र मोहम्मद बख्श कौम नाई व अलादीन पुत्र भीखा रहीमबख्श पुत्र अलादीन छींपा तथा शकरु पुत्र सुभराती तेली व युसुफ पुत्र अली सांई निवासी बीदासर को विक्रय कर दी जो कानूनन वैध नहीं था तथा गैर खातेदारी आवंटन की शर्तो का उल्लंघन था। इस विक्रय का तत्कालीन राजस्व कार्मिकों द्वारा दिनांक 26.02.1979 को नामान्तरकरण संख्या 238 से रिकार्ड में अमल कर दिया।
3. श्री भैरा द्वारा उक्त भूमि का कृषि कार्यो हेतु ही उपयोग कर गैर खातेदार के कर्तव्यों का पालन कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जाने थे।
4. उक्त ख.नं. 1590/1821 तादादी 04 बीघा 13 बिस्वा के गैर खातेदार द्वारा गैर खातेदारी कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।
5. उक्त भूमि पर गैरखातेदार द्वारा गैरखातेदारी के कर्तव्यों का पालन नहीं किये जाने के कारण रोही बीदासर पटवार मंडल बीदासर के ख.नं. 1590/1821 तादादी 04.13 बीघा भूमि में गैर खातेदारी निरस्त कर पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का श्रम फरमावें।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 28.01.2016 में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया कि अप्रार्थी मुनीर, मु. गुलाबी, शकुर निवासी बीदासर की मृत्यु न्यायालय में उक्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पहले ही हो चुकी थी। इसलिए मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया जा सकता है। इसे खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.09.2018 को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना-पत्र धारा 14(4) भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित कृषि भूमि पूर्व में उक्त कृषि भूमि भैराराम वल्द मघा कौम नाई के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जो नामान्तरणकरण सं. 238 से प्रमाणित है। उक्त भैरा ने ख.नं. 1128/2 मीन 05.05 बीघा भूमि जरिये विक्रय-पत्र अप्रार्थीगण मुनीर आदि को विक्रय किया जिसका पंजीयन 22.05.72 को हुआ। तहसीलदार बीदासर ने गलत रूप से गैर-खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर रखी है। यह प्रार्थना-पत्र गलत रूप से अप्रार्थीगण को तंग, परेशान करने के लिए पेश किया गया है। तहसीलदार बीदासर ने यह प्रार्थना-पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में गलत रूप से पेश किया है। जबकि तहसीलदार बीदासर को यह प्रार्थना-पत्र काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत सहायक कलक्टर को पेश करना चाहिए था। अप्रार्थीगण ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने तथ्यों एवं तर्कों के संबंध में RRD 2018 (Raj.H.C.) 479 पेश करते हुए कहा कि "राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, नियम 14(3), 14(4) - मंडल ने आदेश अपास्त किया और आवंटन बहाल किया - 3वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान-खातेदारी अधिकार प्रदान होने के बाद आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता- 3 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्रदान होने की उपधारणा-भूमि के काश्त न करने के आधार पर आवंटन रद्द किया-निर्णीत, मंडल ने आवंटन रद्द करने का आदेश अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।" इसलिए यह प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार बीदासर ने अप्रार्थीगण मुनीर आदि के नाम ख.नं. 1590/1821 तादादी 04.13 बीघा की गैर-खातेदारी निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र पेश किया है। उक्त खसरा भूमि का उपयोग खातेदारान द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ नहीं किया जा रहा है तथा खातेदारान का उक्त भूमि पर कब्जा भी नहीं है। उक्त भूमि कब, किसे अलॉट की गई बाबत् आवंटन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तहसीलदार बीदासर ने संशोधित प्रार्थना-पत्र के साथ दिनांक 27.06.2018 को फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 उक्त कृषि भूमि में अवैध खनन द्वारा गहरे गड्ढे बने हुए हैं। कुछ भूमि को इकरारनामा के द्वारा विक्रय कर देना बताया है। जमाबंदी संवत् 2028-47 में भैरा पुत्र मघा कौम नाई गैर-खातेदार व ख.नं. 1590 तादादी 03.11 बीघा, ख.नं. 1590/1821 तादादी 04.13 बीघा दर्ज है। इसलिये प्रार्थना-पत्र धारा भू-राजस्व आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जावे व गैर-खातेदारी निरस्त की जावे।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता व तहसीलदार बीदासर के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों का भलीभांति अवलोकन किया गया। बहस व तर्कों पर मनन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय-पत्र की फोटोप्रति के अनुसार भैराराम वल्द मघा के नाम 1128/2 तादादी 10.09 बीघा भूमि वाके रोही बीदासर दर्ज है, इसमें से 1128/2 मी. तादादी 05.05 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम विक्रय कर दी। जिसका इंतकाल अप्रार्थी मनीर आदि के नाम 04.13 बीघा पर दर्ज हुआ है। भू-प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत् 2028-47 में ख.नं. 1590 तादादी 03.11 बीघा, 1590/1821 04.13 बीघा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

किता-2 कुल तादादी 08.04 बीघा में भैरा वल्द मघा कौम नाई गैर-खातेदार अंकित है। विक्रय-पत्र पंजीयन दिनांक 22.05.1972 में रकबा 10.02 बीघा भूमि दर्ज है। इसमें से 05.05 बीघा भूमि अप्रार्थीगण को विक्रय की है। नामान्तरणकरण सं. 238 दिनांक 26.02.1979 विक्रय-पत्र दिनांक 22.05.1972 के आधार पर अप्रार्थी मनीर आदि के नाम 04.13 बीघा दर्ज की गई है। तहसीलदार बीदासर ने उपर्युक्त तथ्यों के विरोधाभास बाबत् कोई स्पष्ट अंकन नहीं किया है। नामानतरणकरण सं. 238 दिनांक 26.02.1979 के कॉलम सं. 05 में भैरा वल्द मघा कौम नाई साकिन देह खातेदार इंतकाल सं. 237 अंकित है। तहसीलदार ने उक्त नामानतरणकरण सं. 237 इस प्रार्थना-पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि जमाबंदी संवत् 2028-47 में भैरा वल्द मघा गैर-खातेदार अंकित है। उक्त तथ्य भी विरोधाभासी है। तहसीलदार बीदासर ने उक्त दस्तावेज के साथ उपर्युक्त सभी तथ्यों की जांच व पुष्टि नहीं की है।

तहसीलदार बीदासर उक्त प्रकरण के समस्त तथ्यों की गहनता से जांच व परीक्षण करने के बाद यदि प्रथम दृष्ट्या मामला भू-राजस्व अधिनियम के नियम 14(4) एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD 2018 (Raj.H.C.) 479 का विधिक परीक्षण करते हुए बनता हो तो सक्षम प्राधिकारी के यहां प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार यह प्रार्थना-पत्र चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में तहसीलदार बीदासर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू
चूरू

कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला ...

Web-Copy